



विषयक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद कौशाम्बी के 30 शैय्या एम.सी.एच. विंग सिराथु, 30 शैय्या एम.सी.एच. विंग कड़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करारी में अग्निशमन व्यवस्था कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29फ/10(46)26/387, दिनांक 14.08.2026 तथा शासनादेश संख्या-आई/1014051/2025-5-6099/18/2023-6, दिनांक 03.07.2025 एवं शासनादेश संख्या-आई/1138406/2025-5-6099/412/2025-6, दिनांक 11.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2025 एवं 11.11.2025 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु "उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 14.08.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में जनपद कौशाम्बी के 30 शैय्या एम.सी.एच. विंग सिराथु, 30 शैय्या एम.सी.एच. विंग कड़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करारी में अग्निशमन व्यवस्था कार्य हेतु क्रमशः रुपये 65.46 लाख, रुपये 65.71 लाख एवं रुपये 67.00 लाख अर्थात् कुल रुपये 198.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः रुपये 32.73 लाख, रुपये 32.85 लाख एवं रुपये 33.50 लाख अर्थात् कुल रुपये 99.08 लाख (रुपये निन्यानबे लाख आठ हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं शासनादेश संख्या-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आई/1014051/2025-5-6099/18/2023-6, दिनांक 03.07.2025 तथा शासनादेश संख्या-आई/1138406/2025-5-6099/412/2025-6, दिनांक 11.11.2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
5. प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
8. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
9. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।
10. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
11. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी किश्त हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त स्थिति से अवगत कराया जाय।
13. प्रश्नगत कार्य में किसी भी अनियमितता की स्थिति में संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 99,08,000 (रुपये निन्यानबे लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4210028000300 ग्रामीण चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कौशाम्बी।
- 4- वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट/सामु0स्वा0केन्द्र), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 9- प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ/कौशाम्बी।
- 10- मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।